

24/8/24

1002

वकील डा. अजित कृष्ण जी/ पत्रवली का
 अपीलक क्रमांक 19/24 की वकील
 डा. अजित से. 1 का सही नक़ल
 अंकित कर नोटिस तलवाना पेश करने
 के लिए निर्दिष्ट किया गया/ परन्तु वकील
 डा. अजित नोटिस तलवाना पेश नहीं किया
 मात्र ही वकील डा. अजित द्वारा सही नक़ल पेश
 करने के संबंध में कोई भी नक़ल न्यायालय
 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है/ अतः
 प्राथमिक डा. अजित वकील डा. अजित द्वारा नोटिस
 तलवाना पेश नहीं करने पर आर्टिकल 9 नियम 3
 सीपीसी के अध्याय 2 अनुसूची 2 की धारा 2
 धारिक किया जाता है/ पत्रवली फ़ैजल में
 शुभान हीनू भाषिल हस्ताक्षर है।

उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर

